न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण सं० 154 सन् 2008

राज्य बनाम विपिन सिंह व अन्य

दि०-07-07-2025

पत्रवली आज बचाव साक्ष्य में नियत है। बचाव पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र 892 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अजय कुमार सिंह के नाम से जिला मजिस्ट्रेट बलिया के अधीन शस्त्र कार्यालय बलिया द्वारा शस्त्र लाईसेंस निर्गत किया गया था। अजय कुमार सिंह के नाम से निर्गत शस्त्र लाईसेंस को जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के अधीन शस्त्र कार्यालय बलिया द्वारा सत्यापन कराये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ बचाव पक्ष द्वारा बचाव साक्ष्य के रूप में अजय कुमार सिंह के नाम से निर्गत शस्त्र लाईसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये शस्त्र लाईसेंस की प्रमाणिकता को वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अजय कुमार सिंह के नाम से निर्गत शस्त्र लाईसेंस को जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के अधीन शस्त्र कार्यालय बलिया द्वारा सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 892 ख निस्तारित किया जाता है। बचाव पक्ष द्वारा बचाव साक्ष्य के रूप में अजय कुमार सिंह के नाम से निर्गत शस्त्र लाईसेंस की छायाप्रति बचाव साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर रखा जाय।

बचाव पक्ष द्वारा इस स्तर पर एक अन्य प्रार्थना पत्र 895 ख प्रस्तुत कर पी.डब्लू.5 विवेचक प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव से पुनः प्रतिपरीक्षा करने हेतु याचना की गयी है तथा प्रार्थना पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि अभियोजन द्वारा मौके पर 12 बोर का कारतूस बरामद होना कहा जाता है। उक्त कारतूस का कथित घटना में चलने का विशेषज्ञ से राय लेना आवश्यक था। इस बिन्दु पर निवेदित तथ्य है कि क्रास केस स्टेट बनाम रामदरश आदि की तहरीर में मृतक तालुकदार सिंह की एक नाली 12 बोर बन्दूक अंकित द्वारा चलाने का कथन किया गया है। उक्त बिन्दु पर भी पुनः प्रतिपरीक्षा किया जाना सही निर्णय हेतु आवश्यक है।

उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थना पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि उपरोक्त अभियोग में विवेचक द्वारा घटना में प्रयुक्त बन्दूक न तो जब्त किया गया और न ही विशेषज्ञ के परीक्षण हेतु भेजा गया। अस्तु प्रार्थना पत्र पत्रावली को विलम्बित करने के ध्येय से प्रस्तुत किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 895 ख को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2025.07.07 16:19:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जैसा कि उल्लिखित है कि इस पत्रावली के यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु समय-समय पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि पी.डब्लू.5 की प्रतिपरीक्षा बचाव पक्ष द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 26-07-2018 को किया गया है। पुनः पी.डब्लू.5 की प्रतिपरीक्षा दिनांक 11.12.2018 को किया गया। पुनः पी.डब्लू.5 की प्रतिपरीक्षा दि० 25.02.2019 को किया गया। पुनः दिनांक 11.07.2019 को पी.डब्लू.5 से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किया गया। इसी प्रकार दिनांक 15.07.2019, 18.11.2019, 09.11.2020, 29.01.2021, 14.09.2021, 20.09.2021, 24.11.2021, 13.04.2022, 21.04.2022, 11.05.2022, 31.05.2022, 03.08.2022, 14.11.2022, 05.12.2022, 03.01.2023 को बचाव पक्ष द्वारा पी.डब्लू.5 से प्रतिपरीक्षा किया गया। बचाव पक्ष द्वारा पी.डब्लू.5 से कुल 48 पेज विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है। बचाव पक्ष की पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त पी.डब्लू.5 की प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि पत्रावली में अभियोजन साक्ष्य समाप्त होकर अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत 313 दं०प्र०सं० दर्ज किया गया। तत्पश्चात बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में डी.डब्लू.1 को परीक्षित कराया गया । पत्रावली विचारण समाप्ति की प्रत्यासा में लम्बित है। इसके बावजूद विचारण के अन्तिम स्तर पर येन–केन प्रकारेण प्रकरण को विलम्बित करने के उद्देश्य से बिना किसी कारण बचाव पक्ष द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 895 ख निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14.07.2025 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश

आजमगढ़।

07-07-2025